COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 Rs. १० रु.

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 Rs. १० रु.

2

न्यायालय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निगरानी क्रमांक

R-1601-I/07

भइयन तनय प्रगवा लोधी, निवासी ग्राम-शाहपुर तहसील जतारा जिला-टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)

.. निगराकार/आवेदक

बनाम

1- महिला गोमती पत्नि भागचन्द्र लोधी निवासी हाल-मवई तहसील व जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

2- महिला भागवती पत्नि वारे लोधी निवासी ग्राम-शाहपुर तहसील-जतारा जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

3- म.प्र. शासन

..प्रतिनिगराकार/अनावेदकगण

RM 1/9/07

क्रमांक 2845 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 19-9-07 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रतिकूल आदेश न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त संभाग सागर म.प्र. के राजस्व निगरानी क्रमांक/124/अ-6/2002-03 दिनांक 4 अप्रैल 2007 के जिसके अनुसार निगराकार की निगरानी समुचित आधारों पर प्रस्तुत होने के बावजूद निरस्त किये जाने के कारण :-

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1601—एक / 2007 जिला—टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.02.2015 सागर कैम्प	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 23—9—08 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 04—02—15 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 23—9—08 से 04—02—15 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे है। वहीं सुनवाई दिनांक 04—02—2015 को तीन बार पुकार लगवाई गई, इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2007 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । आदेश की कॉपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	